



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-29082024-256732
CG-MH-E-29082024-256732

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 672]
No. 672]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 29, 2024/भाद्र 7, 1946
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 29, 2024/BHADRA 7, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 26 अगस्त, 2024

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/200.—बोर्ड, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 25 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 में, अध्याय-VII के बाद और अध्याय-VIII से पहले, निम्नलिखित अध्याय जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“अध्याय – VIIक

अन्य एंटिटियों से लेनदेन आदि (डीलिंग) करने पर पाबंदी

कुछ व्यक्तियों से ताल्लुक रखने पर पाबंदी

82ख. (1) कोई निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) या उसका कोई एजेंट, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसे किसी दूसरे व्यक्ति से, जो -

- (i) किसी प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) या किन्हीं प्रतिभूतियों के संबंध में, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, कोई सलाह या सुझाव आदि देता हो, तब तक कोई ताल्लुक नहीं रखेगा जब तक कि ऐसी सलाह या ऐसा सुझाव आदि देने के संबंध में वह बोर्ड से रजिस्टर न हो जाए या बोर्ड उसे इस संबंध में किसी और तरह की कोई मंजूरी न दे दे; या
- (ii) किसी प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) या किन्हीं प्रतिभूतियों में निवेश करने पर होने वाले मुनाफों या उसके परफॉर्मेंस को लेकर किसी तरह का कोई दावा करता हो, तब तक कोई ताल्लुक नहीं रखेगा जब तक कि बोर्ड उसे ऐसा कोई दावा करने के संबंध में मंजूरी न दे दे:

परंतु यह कि यदि किसी निर्धारित डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कोई ताल्लुक रखा जाए, तो ऐसे में इस उप-विनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

(2) निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) यह सुनिश्चित करेगा कि उससे या उसके एजेंट से ताल्लुक रखने वाला कोई व्यक्ति जरूरी मंजूरी लिए बिना उप-विनियम (1) के खंड (i) या खंड (ii) में बताए हुए कार्यों में न जुटे।

स्पष्टीकरण-1.- इस विनियम के प्रयोजनार्थ, शब्दों “ताल्लुक रखने” का अर्थ होगा -

- (क) पैसों का कोई लेनदेन आदि (ट्रांजैक्शन) करना या ऐसा कोई लेनदेन आदि करना जिसकी कीमत पैसों में आँकी जा सके;
- (ख) ग्राहक (क्लाइंट) बनाना;
- (ग) सूचना प्रौद्योगिकी (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) सिस्टम का इंटर-एक्शन;
- (घ) इसी तरह का कोई और ताल्लुक रखना।

स्पष्टीकरण-2.- इस विनियम के प्रयोजनार्थ, शब्दों “निर्धारित डिजिटल प्लेटफॉर्म” का अर्थ होगा - वह डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका जिक्र बोर्ड ने किया हो, और जिसके अंतर्गत ऐसी व्यवस्था हो कि यदि डिजिटल प्लेटफॉर्म का कोई गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो उस गलत इस्तेमाल को पहले ही रोका जा सके और साथ ही कुछ गलत हो जाने पर उसे दुरुस्त भी किया जा सके, लेकिन वह व्यवस्था बोर्ड की नज़र में संतोषजनक होनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल उप-विनियम (1) के खंड (i) या खंड (ii) में बताए हुए कोई कार्य करने के लिए न किया जा सके।

स्पष्टीकरण-3.- शंकाएँ दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विनियम में प्रयोग किए गए शब्दों “दूसरे व्यक्ति” में वह व्यक्ति शामिल नहीं होगा, जो निवेशक शिक्षण के कार्य में जुटा हुआ हो, बशर्ते कि वह व्यक्ति, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, जरूरी मंजूरी लिए बिना उप-विनियम (1) के खंड (i) या खंड (ii) में बताए हुए किसी कार्य में न जुटे।

82ग. बोर्ड, विनियम 82ख के किसी प्रावधान का उल्लंघन हो जाने पर, ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह ठीक समझे, जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 के अध्याय-V के तहत की जाने वाली कार्रवाई शामिल है।”

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./441/2024-25]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/40, 3 अक्तूबर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 तत्पश्चात्,—
 - क. 4 जून 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/20, द्वारा
 - ख. 21 फरवरी, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/04, द्वारा
 - ग. 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
 - घ. 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/23, द्वारा
 - ङ. 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/30, द्वारा
 - च. 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/43, द्वारा
 - छ. 26 अक्तूबर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/53, द्वारा
 - ज. 23 फरवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/74, द्वारा
 - झ. 2 मार्च, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/125, द्वारा
 - ञ. 22 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/147, द्वारा
 - ट. 10 मई, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/173, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 26th August, 2024

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (DEPOSITORIES AND PARTICIPANTS)
(SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2024**

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/200.—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with section 25 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018 namely,—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2024.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018, after Chapter VII and before Chapter VIII, the following Chapter shall be inserted, namely,—

“CHAPTER VIIA**RESTRICTION IN DEALING WITH OTHER ENTITIES****Restriction in having association with certain persons**

82B. (1) No depository or its agent, shall have any direct or indirect association, with another person who-

- (i) provides advice or any recommendation, directly or indirectly, in respect of or related to a security or securities, unless the person is registered with or otherwise permitted by the Board to provide such advice or recommendation; or
- (ii) makes any claim, of returns or performance expressly or impliedly, in respect of or related to a security or securities, unless the person has been permitted by the Board to make such a claim:

Provided that the provisions of this sub-regulation shall not apply in respect of an association through a specified digital platform.

(2) The depository shall ensure that any person associated with it or its agent does not engage in the activities mentioned in clauses (i) or (ii) of sub-regulation (1) without the necessary permission.

Explanation 1. – For the purposes of this regulation, the expression “association” shall mean-

- (a) a transaction involving money or money’s worth;
- (b) referral of a client;
- (c) interaction of information technology systems;
- (d) any other association of a similar nature or character.

Explanation 2. – For the purposes of this regulation, the expression “specified digital platform” shall mean a digital platform as specified by the Board, which has a mechanism in place to take preventive as well as curative action, to the satisfaction of the Board, to ensure that such a platform is not used for indulging in any activity as referred to in clause (i) or (ii) of sub-regulation (1).

Explanation 3. – For the removal of doubts, it is clarified that the term “another person” in this regulation shall not include a person who is engaged in investor education, provided that such a person does not, directly or indirectly, indulge in any activity as referred to in clause (i) or (ii) of sub-regulation (1) without the necessary permission.

82C. The Board may, in case of violation of any of the provisions of regulation 82B, take such action as it may deem fit including action under Chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.”

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Ext./441/2024-25]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on October 3, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/40.
2. The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018 were subsequently amended on, –
 - a. 4th June, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/20.
 - b. 21st February, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/04.
 - c. 17th April, 2020, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
 - d. 5th May, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations 2021, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/23.
 - e. 3rd August, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
 - f. 13th August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/43.
 - g. 26th October 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/53.
 - h. 23rd February 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/74.
 - i. 2nd March 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/125.
 - j. 22nd August, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/147.
 - k. 10th May, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/173.